राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

सरकार बनाम नेपाल सिंह

किस्मः– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत ; एसआर.नं. :– एफ–3890; मुकदमा नम्बरः– 128 / 2023

03.05.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी नेपालसिंह पुत्र श्री रूपसिंह राजपूत, उम्र 39 (विक्रेता मालिक) निवासी असरवा (अरबा), तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर, मैसर्स– बिकानेर जोधपुर स्वीट होम, बालाजी बस स्टेण्ड, दिवराला, तह. श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना उभय पक्ष उपस्थित। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.10.2023 को बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा समय 03:30 पी.एम. पर श्रीमाधोपुर में निरीक्षण के लिए पहूँचे। निरीक्षण के दौरान मैसर्स बिकानेर जोधपुर स्वीट होम, बालाजी बस स्टेण्ड, दिवराला, तह. श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम नेपालसिंह पुत्र श्री रूपसिंह राजपूत व स्वयं को दुकान का विक्रेता व मालिक होना बताया। विक्रेता से वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहा, तो उसने वर्ष 2023 खाद्य अनुज्ञापत्र व आधारकार्ड की छायाप्रति पेश कि गई।

मैसर्स बिकानेर जोधपुर स्वीट होम, बालाजी बस स्टेण्ड, दिवराला, तह. श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना मैसर्स में रखी एक स्टील की ट्रे में लगभग 4 किलोग्राम मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) आम जनता को विक्रय वास्तें रखे हुये थे जिसमें मिलावट कि शंका होने पर, मैसर्स पर रखे 4 किलोग्राम मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 2 किलोग्राम मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) का क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 600 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अवमानक (sub-standard)** व **(Extraneous matter) खाद्य पदार्थ** पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर एफ–3890 खाद्य पदार्थ मावा का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अवमानक (sub-standard)** व **(Extraneous matter) खाद्य पदार्थ** पाया गया। **अवमानक (sub-standard)** व **(Extraneous matter) खाद्य पदार्थ** मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 व धारा 54 के तहत अप्रार्थी को 25,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 03.05.2024 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीम का थाना

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना